25-11-19 आवेदक द्वारा प्रार्थी ने अधिनियम अन्तर्गत धारा- 235 R.T.A. को विद्ध करने का अधिनियम को है। प्रार्थी के अ.सा. धारा 235 R.T.A. पर उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्र.सं. 175/18 को स्थानान्तरण बाबत टिप्पणी व आवेदन तलब करने बाबत जो पत्रांक उपखण्ड दिनांक 10-5-2019 से प्राप्त हो चुकी है।

प्रार्थी के अधिनियम पर प्रकरण संख्या 14/2019 में कार्यवाही शुरू की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को मूल प्रकरण संख्या 175/2018 मंगाया जावे। प्रकरण नम्बर से कम कर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा